

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 03 अंक - 56 बेमेतरा, सोमवार 12 अक्टूबर 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्गा/1743290201/2025-27

प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफविजय की उपस्थिति में रविवार को चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के चरण-दो के पहले हिस्से का उद्घाटन किया।

शहर को ट्रेफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने और यातायात संपर्क को सुगम बनाने के लिए 4,900 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह नया मेट्रो रूट 14.64 किलोमीटर लंबा है। श्री मोदी और श्री विजय ने चरण-दो के तहत पूनमल्ली-वडपलनी खंड के बीच पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस चरण में 3.7 किलोमीटर लंबा विशेष डबल-डेकर ढांचा और बिना ड्राइवर के ट्रेन परिचालन का समर्थन करने वाली अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली शामिल है।

इसके बाद श्री मोदी और श्री विजय दोनों ने कार्डर से टिकट खरीदे और इस पहले चरण के तहत आने वाले पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक और वहां से वापस मेट्रो ट्रेन में यात्रा की।



सप्तर के दौरान चेन्नई मेट्रो रेल के अधिकारियों ने दोनों नेताओं को परियोजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूनमल्ली से पोरूर के बीच मेट्रो से यात्रा का समय घटकर केवल 20 मिनट रह जाएगा, जबकि पोरूर से वडपलनी की दूरी मेट्रो के जरिए 18 मिनट में पूरी होगी, जिससे यात्रियों के समय की बड़ी बचत होगी। इससे पहले हवाई अड्डे से पोरूर मेट्रो स्टेशन तक के पूरे रास्ते में सड़क के दोनों ओर जमा लोगों के हजूम ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया, जिसमें हाथों में तख्तियां लिए महिला कार्यकर्ताओं

सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ता शामिल थे। श्री मोदी और श्री विजय ने साथ-साथ रोड शो करते हुए जनता का यह उत्साहजनक अभिवादन स्वीकार किया। जैसे ही वाहन धीमा हुआ, प्रधानमंत्री ने मुस्कराते हुए गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर खड़े हुए और हाथ हिलाकर लोगों

का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री भी दूसरी गाड़ी में प्रधानमंत्री के पीछे-पीछे चल रहे थे, उन्होंने गाड़ी को खिड़की पूरी तरह खोल रखी थी और बड़ी आत्मीयता से जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। दोनों नेताओं के इस संयुक्त रोड शो को लेकर लोगों में खासा

मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी आपातकाल के खिलाफ उनकी लड़ाई को किया याद

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता के कई पीढ़ियों पर पड़े गहरे प्रभाव, आपातकाल के खिलाफ उनके कड़े विरोध और सुशासन तथा समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि नारायण ने लोगों को सार्वजनिक जीवन को देश के नवनिर्माण के एक माध्यम के रूप में देखने के लिए प्रेरित किया। तानाशाही के खिलाफ उनका विरोध भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अहम अध्याय बना हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, उनका प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहा। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि सार्वजनिक जीवन देश के नवनिर्माण का एक साधन हो सकता है। इमरजेंसी के दौरान

उनकी निडर आवाज़ भी उल्लेखनीय थी। मोदी ने जवाबदेह शासन और सामाजिक समावेश पर नारायण के जोर का भी जिक्र किया और उनके आदर्शों को एक विकसित भारत बनाने के सरकार के लक्ष्य से जोड़ा। उन्होंने कहा, लोकनायक जेपी सुशासन सुनिश्चित करने और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए भी बहुत उत्साहित थे। 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में काम करते हुए हम उनके आदर्शों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जेपी या लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आजादी के बाद के राजनीतिक जीवन की सबसे अहम हस्तियों में से एक थे। एक समाजवादी विचारक और लोकतांत्रिक जवाबदेही के समर्थक के तौर पर वे 1970 के दशक में भ्रष्टाचार और राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ आंदोलन में एक मुख्य चेहरा बने।

चरण-दो के पूनमल्ली-वडपलनी खंड का औपचारिक उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने 13,000 करोड़ रुपये की कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। मेट्रो का यह चरण-दो परियोजना दैनिक यात्रियों के सप्तर के समय को कम करेगी।

इंडिया गठबंधन युवाओं पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज फिर सड़कों पर उतरेगा : राहुल गांधी

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सोमवार को पूरा इंडिया गठबंधन तथा देश के युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ पहले से कहीं अधिक विरोध की आवाज बुलंद करेंगे।

गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस खुद गुंडागर्दी पर उतर आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोगों को महिलाओं और युवाओं पर हिंसा करने की खुली हूट दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जितना दबाव बनाएगी, युवाओं और छात्रों का गुस्सा



उतना ही बढ़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि वह इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ सोमवार को मुख्य न्यायाधीश से भी मुलाकात करेंगे और मांग करेंगे कि जब दिल्ली की सड़कों पर संविधान और

लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तब कानून के संरक्षक चुप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि संविधान की ध्वजियां उड़ने पर विपक्ष चुप नहीं बैठेगा और जवाबदेही तय कराकर रहेगा।

गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जितनी चाहे पुलिस तैनात कर ले और भाजपा-आरएसएस के जितने लोगों को बुलाना चाहे, बुला ले, लेकिन वे डरने या पीछे हटने वाले नहीं हैं और यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है।

रियाद एयरपोर्ट पर हतियों के हमले की भारत ने की कड़ी निंदा

नयी दिल्ली। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे

को निशाना बनाने वाले हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत रोकने की मांग की गई है। भारत

में हमलों में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही, सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की है। बयान में उम्मीद जताई गई है कि क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।

इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि मेट्रो और रेल सेवाएं सार्वजनिक व्यवस्था के तहत जरूरी प्रतिबंधों के अधीन सामान्य रूप से चालू रखी जाएं। उच्चतम न्यायालय ने रविवार को एक विशेष सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना हिरासत में न लिया

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे आपसी बिखराव प्रमुख कारण था : महंत

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता की कमी को प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने आज कहा कि चुनाव के दौरान सभी कांग्रेसी एक नहीं थे और अलग-अलग दिशाओं में बंट गए थे, जिसका खामियाजा पार्टी को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष महंत ने कांग्रेस की हार के कारणों पर चर्चा करते हुए कहा कि चुनाव में पराजय की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि संगठन के भीतर कई स्तरों पर बिखराव की स्थिति बन गई थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कोशिश सभी वर्गों के हित में काम करने और आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने की थी, लेकिन पार्टी के भीतर



आंतरिक स्थिति पर सवाल उठते हुए कहा, पार्टी के अंदर कौन आ गया और हमारे बीच क्या कमजोरी पैदा हो गई? उन्होंने कहा, सभी लोग बड़े-बड़े सपने देखने लगे। सभी लोग एक नहीं थे। सब अलग-अलग हो गए थे। 2023 के चुनाव में सभी कांग्रेसी एक नहीं थे, यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। महंत ने आगामी चुनावों को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी को सतर्क रहते हुए आपसी मतभेद दूर करने होंगे। संगठन की एकता ही भविष्य में चुनावी सफलता का आधार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि अब पार्टी के सभी लोग एक हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: दिल्ली में बैरिकेड्स की समीक्षा, इंटरनेट बहाल करने और मेट्रो का सामान्य परिचालन सुनिश्चित करने का निर्देश

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन और अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे पूरी दिल्ली में लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करें, कानून-व्यवस्था तथा यातायात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स की समीक्षा करें और इंटरनेट सेवाओं को बहाल करें।



जाए। न्यायालय ने विशेष रूप से उन क्षेत्रों के बाहर शांतिपूर्ण और निरहंय एकत्र होने वाले लोगों के संदर्भ में यह आदेश दिया जहां निषेधाज्ञा लागू है। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने अधिकारियों को निर्देश

दिया कि उच्चतम न्यायालय के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू करने से संबंधित सूचना बोर्ड/नोटिस को, अगर पहले से न हटाया गया हो, तो तुरंत हटा दिया जाए। इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि न्याय तक पहुंच को लेकर, जिसमें किसी भी अदालत में प्रवेश और निकास शामिल है, किसी भी प्रकार की कोई आशंका या बाधा न रहे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि मेट्रो और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होनी चाहिए, जब तक कि सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंध लगाया आवश्यक न हो।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद बैठक

मोदी के नेतृत्व के 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने पारित किया अभिनंदन प्रस्ताव

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में निरंतर 25 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। हमारे लिए यह केवल एक उपलब्धि का अवसर नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों पर चली एक असाधारण कर्मयात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता और मंत्रिपरिषद की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी के कर्मयोग, जनसेवा और दूरदर्शी नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, और उनके उत्तम स्वास्थ्य तथा सुदीर्घ राष्ट्र सेवा की कामना करता हूँ। मंत्रिपरिषद ने जैम से लेकर जीएसटी तक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से लेकर नक्सलवाद से मुक्ति तक, राष्ट्रहित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का भी अभिनंदन किया है। साथ ही, सहकारी संघवाद के माध्यम



से छत्तीसगढ़ को अधिक संसाधन और भागीदारी देने तथा आवास, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और स्वच्छ इंधन जैसी सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मिले सहयोग के लिए हम केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। अब मैं संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा

कि इन 25 वर्षों के नेतृत्व का छत्तीसगढ़ पर क्या असर पड़ा है - सबसे पहले बात गुजरात की, जहां से सुशासन के नए प्रयोगों की शुरुआत हुई मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए शासन में टेक्नोलॉजी, जनसंवाद और परिणाम-आधारित

कार्यप्रणाली के कई प्रयोग किए, जिन्हें आगे चलकर पूरे देश में अपनया गया। वर्ष 2000 में बने हमारे छत्तीसगढ़ ने भी अपनी शुरुआती विकास यात्रा में 'गुजरात मॉडल' के सफल अनुभवों से सीखा और तेजी से आगे बढ़ा। संवाद और 'चिंतन शिविर' की परंपरा यहीं लागू हुई। इसी क्रम में पीएम गतिशक्ति ने परियोजनाओं की प्लानिंग और निगरानी को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। हमारे राज्य के लगभग 20 हजार गांवों में से करीब 14 हजार गांव जियो-रेफ्लेक्स किए जा चुके हैं। निवेश का अनुकूल माहौल बनाने में भी हमें प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा मिली 'वाइब्रेंट गुजरात' ने राज्यों को अपनी संभावनाएं दुनिया के सामने रखने की प्रेरणा दी, और इसी से हमने निवेश आकर्षित करने के लिए संरचनात्मक नीतियां लागू कीं। 'इंज' ऑफ डूइंग

विजनेस अधिनियम, 2026' से औद्योगिक अनुमतियां सरल हुई हैं और तय समय-सीमा में निर्णय न होने पर डीमड अफ्रुवल, यानी स्वतः स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम से भी प्रक्रिया आसान बनी है। दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24x7 संचालन की अनुमति दी गई। कुल मिलाकर 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। इन प्रयासों का नतीजा है कि राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। टेक्नोलॉजी ने शासन को आम नागरिक के और करीब पहुंचाया है जनभन-आधार-मोबाइल, यानी जैम की त्रयी

से देश में 60 करोड़ लोग बैंकिंग से जुड़े, जो दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन मॉडल है। डायरेक्ट बेंचिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और शत-प्रतिशत सहायता राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंची। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों तक डिजिटल भुगतान की सुविधा पहुंचाई। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीस्टैक के तहत 42 लाख फार्मर आईडी बन चुकी हैं, और ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना से 7.51 लाख ग्रामीणों को उनकी संपत्ति के अधिकार अभिलेख मिले हैं। प्रधानमंत्री जी की नीतियों के केंद्र में सदैव गरीब कल्याण रहा है, और छत्तीसगढ़ में इसका असर साफ दिखाई देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूर्ण हुए हैं।

संपादकीय

अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आने के बाद स्थितियां जटिल होती जा रही हैं। मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है और स्वाभाविक रूप से इसका असर चौरफा पड़ रहा है।दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप से उपजी समस्या ने अब मौसम को इस कदर प्रभावित करना शुरू कर दिया है कि आम जनजीवन से लेकर खेती-किसानी तथा पर्यावरण के अन्य क्षेत्रों पर भी

उसके विपरीत असर दिखने शुरू हो गए हैं।हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ओर से यह कहा गया कि अल नीनो का प्रभाव अब साफतौर पर देखा जा सकता है। आने वाले महीनों में इसके असर में और तीव्र बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अगले वर्ष फरवरी तक इसके जारी रहने का अनुमान है।जहां तक भारत पर इसके असर का सवाल है, तो यहां पिछले महीने तक बरसात में 12.6 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। अंदाजा

लागाया जा सकता है कि देश में वर्षा पर निर्भर खेती-किसानी और फसलों पर इस स्थिति का कैसा असर पड़ रहा होगा। यह बेवजह नहीं है कि देश के कृषि मंत्रालय ने 2026-27 के खाद्यान्न लक्ष्य को कम करके 373.93 मिलियन टन निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के अनुमानित उत्पादन के मुकाबले 2.63 मिलियन टन कम है।जाहिर है, अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभावों के ज्यादा स्पष्ट होकर सामने आने के बाद स्थितियां

जटिल होती जा रही हैं। मौसम का चक्र बिगड़ता जा रहा है और स्वाभाविक रूप से इसका असर चौरफा पड़ रहा है।अकेले महाराष्ट्र में सरकार को राज्य के दो सी पैसठ तालुका को सूखा घोषित करना पड़ा है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि पिछले कई वर्षों में इस बार मानसून बेहद कमजोर रहा। इसी वजह से खेतों में तकरीबन तैयार फसलें सूख गईं और किसानों को व्यापक नुकसान हुआ। नतीजतन, कर्नाटक के बाद अब

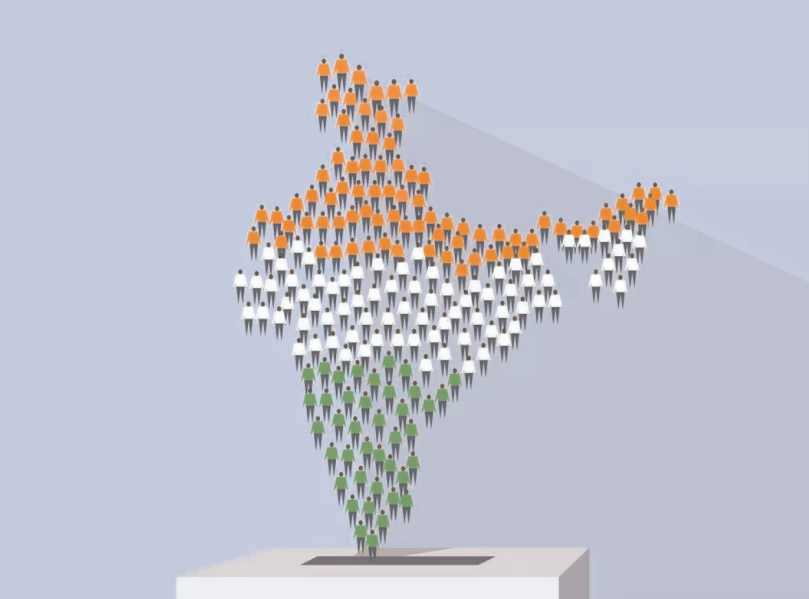
महाराष्ट्र ने भी राज्य को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है।बीते आसत में बरसात में गिरावट की वजह से कर्नाटक को सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ा था। समूचे पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले सवा सौ वर्षों में इस साल सबसे सूखा मानसून रहा है। वहीं पंजाब और बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भी बारिश में भारी कमी दर्ज की गई।एक समस्या यह भी है कि मौसम के बारे में जितने भी पूर्वानुमान सामने आते हैं, उनमें से कम ही उसके अनुरूप सही

साबित होते हैं। खेती पर व्यापक असर और खाद्य-चक्र बिगड़ने से इतर भी मौसम की मार के बहुस्तरीय प्रभाव देखे जा रहे हैं।पर्यावरण संतुलन पर इसके विपरीत प्रभाव की वजह से न केवल मनुष्य के लिए कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, बल्कि वन्यजीवों के सामने भी अपने पर्यावास क्षेत्र को बचाने की मुश्किल पेश आ रही है। पेड़-पौधों के अस्तित्व पर इसका कैसा असर पड़ रहा है, यह समझना मुश्किल नहीं है।

स्वार्थ और कामचोरी की मानसिकता से खोखला होता देश

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

लोकतांत्रिक राष्ट्र की प्रगति, स्थिरता और वैश्विक साख उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की ईमानदारी, कानून के निष्पक्ष शासन और नागरिकों के अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण पर टिकी होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां विकास की अनंत संभावनाएँ हैं वहां आज एक ऐसी अदृश्य और आत्मघाती बीमारी जड़ जमा चुकी है जो सीमाओं पर खड़े दुरमनों से भी कहीं अधिक खतरनाक है। यह बीमारी है स्वार्थ, कामचोरी और भ्रष्टाचार की वह गहरी मानसिकता, जो आज हमारे तंत्र के भीतर दीमक की तरह काम कर रही है और राष्ट्र के बुनियादी ढांचे को अंदर से खोखला बना रही है। स्वतंत्रता के अमृत काल में जब हमें एक महाशक्ति बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होना चाहिए था तब हमारी ऊर्जा, संसाधन और समय व्यवस्था की आंतरिक विसंगतियों से लड़ने में नष्ट हो रहे हैं। आज देश का शायद ही कोई ऐसा सरकारी, अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक विभाग बचा हो जहां आम आदमी बिना किसी मानसिक प्रताड़ना, अत्यधिक देरी या अनुचित वित्तीय समझौते के अपना जायज और वैध काम करवा सके। कार्यालयों में कुर्सियों पर बैठे अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी अपने ‘लोकसेवक’ होने के मूल चरित्र और संवैधानिक दायित्वों को पूरी तरह विस्मृत कर चुके हैं। केंद्रीय और राज्य सतर्कता आयोगों की वार्षिक रिपोर्टों पर दृष्टि डालें तो हर साल देश में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के हजारों मामले दर्ज होते हैं। यह स्थिति यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सार्वजनिक विभागों की वर्तमान कार्यशैली पूरी तरह से जनविरोधी और संवेदनहीन हो चुकी है। इन विभागों में नियमों और कानूनों का निर्माण जनहित को सुगम बनाने के लिए किया गया था लेकिन वर्तमान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। आज नियमों की आड़ लेकर आम जनता को परेशान करना और उनसे ‘सुविधा शुल्क’ यानी रिश्तत की वसूली करना, एक सामान्य प्रशासनिक संस्कृति बन चुका है। जब एक साधारण और कानून का पालन करने वाला नागरिक किसी कार्यालय में अपने वैधानिक कार्य के लिए कदम रखता है, तो उसे सीधे तौर पर नियमों की ऐसी जटिल और अंतहीन भूलभुलैया में उलझा दिया जाता है कि वह थक-हारकर बिचौलियों की शरण में जाने और रिश्तत देने को विवश हो जाए। फाइलों को बेवजह दबाकर रखना, कार्डेंटर से कार्डेंटर पर दौड़ाना और कागजों में जानबूझकर तकनीकी कमियां निकालना तो आज की कार्यप्रणाली का मुख्य हिस्सा बन चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब इन अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके मूल दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रश्न कियेजाते हैं या जवाबदेही तय करने का प्रयास किया जाता है तो वे तुरंत अपने अधिकारों, विशेषाधिकारों और



कर्मचारी यूनियनों की दुहाई देने लगते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और कामचोरी को छिपाने के लिए वे कामबंदी, हड़ताल या न्यायिक प्रक्रियाओं की शरण लेते हैं। कर्तव्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर केवल अधिकारों का यह शोर अब देश के विकास की गति को दशकों पीछे धकेल रहा है। इस प्रशासनिक सड़न और नैतिक पतन का सबसे वीभत्स और डरावना रूप हमें देश की कानून-व्यवस्था और न्याय प्रणाली में देखने को मिलता है। समाज में आज एक अत्यंत खतरनाक और निराशाजनक धारणा मजबूत होती जा रही है कि कानून का डंडा सिर्फ कमजोरों, गरीबों और लाचारों को दबाने के लिए ही चलता है। समाज के बाहुबली, धनबली, भीड़बली और उच्च राजनीतिक पहुंच रखने वाले दबंग लोग सरेआम कानून की तरह समाप्त हो चुका है। ये ताकतवर तत्व हमारे कानून के लचीलेपन और न्याय प्रक्रिया में होने वाली देरी का पूरा फायदा उठाते हैं। एक तरफ जहां एक छोटी सी अनजानी गलती करने वाला गरीब व्यक्ति बिना मुकदमे के लम्बे समय तक जेलों में विचाराधीन कैदी के रूप में सड़ता रहता है वहीं दूसरी तरफ बड़े घोटालों, हत्या, और गंजन्म अपराधों के रसूखदार आरोपी महंगे वकीलों की फौज खड़ी करके अदालतों से तारीख पर तारीख लेकर और कानून की तकनीकी कमियों का लाभ उठाकर अग्रिम जमानत पर बाहर घूमते हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक और शर्मनाक स्थिति तब उत्पन्न होती

है जब कानून के रक्षक ही भक्षक की भूमिका में अवतरित हो जाते हैं। अनेक जांच रिपोर्टों और अदालती टिप्पणियों में यह स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस और जांच एजेंसियों के अनेक उच्चाधिकारी राजनैतिक आकाओं के दबाव, भारी-भरकम वित्तीय लाभ के लालच तथा अन्य कारणों से खतरनाक अपराधियों, भू-माफियाओं, ड्रग तस्करों और बड़े कॉर्पोरेट अपराधियों को बचाने की सुनियोजित प्रयास करते हैं। उन पर प्राथमिक जांच में ढिलाई बरतने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, कमजोर चार्जशीट दाखिल करने और न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के मामले को जानबूझकर इस तरह कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं कि अपराधी को संदेह का लाभ मिलकर वह आसानी से बरी हो सके। शक्ति, संपत्ति और सत्ता के इस भयावह और अनैतिक गठजोड़ के मध्य समाज के बलशाली और रसूखदार लोग हर बार साफ बच निकलते हैं जबकि समाज का निरीह, गरीब, शोषित और बेसहारा नागरिक न्याय के इसी जटिल शिकंजे में तड़फ-तड़फ कर दम तोड़ देता है। न्याय की यह दोहरी व्यवस्था समाज में एक गहरे असंतोष और आक्रोश को जन्म दे रही है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस व्यवस्था की संवेदनहीनता और स्वार्थपरता का एक और अत्यंत दुखद और काला अध्याय सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देखने को मिलता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत सरकारें हर साल गरीबों, वंचितों, महिलाओं और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के उत्थान के नाम पर बजट में अरबों-खरबों रुपये का प्रावधान करती हैं लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज फर्जी दस्तावेजों, नकली पहचान पत्रों और प्रशासनिक तंत्र की मिलीभगत के सहारे अपात्र, अमीर और बिचौलिए लोगों द्वारा उन सभी सरकारी

सुविधाओं, मुफ्त राशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का अवैध रूप से लाभ उठाया जा रहा है, जो वास्तव में समाज के अत्यंत निर्धन वर्ग के लिए आरक्षित थीं। एक तरफ जहां इन अपात्रों और जालसाजों को बिना किसी कठिनाई के तंत्र की सक्रिय मिलीभगत से सब कुछ आसानी से प्राप्त हो जाता है वहीं दूसरी तरफ समाज के असली हकदार और अत्यंत पात्र लोग हैं, उन्हें अपनी पात्रता प्रमाणित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ता है। एक लाचार वृद्ध महिला को अपनी मामूली मासिक पेंशन के लिए, एक दिव्यांग को अपने चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए या एक पीड़ित किसान को अपनी नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, बाबुओं की मित्रते करनी पड़ती है और कई बार तो स्वयं को जीवित या पात्र साबित करने के लिए भी अपनी जेब से रिश्तत देनी पड़ती है। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का हनन है बल्कि देश के नागरिकों का अपनी ही चुनी हुई सरकार, कार्यपालिका के कथित लोकसेवकों और व्यवस्था पर से विश्वास उठाने वाली है। यह संपूर्ण भयावह स्थिति केवल कुछ व्यक्तियों या कुछ विभागों के भ्रष्ट होने का सीमित मामला नहीं है, बल्कि यह एक पूरे समाज और प्रशासनिक तंत्र की सामूहिक नैतिक गिरावट और राष्ट्रीय चेतना के शून्य होने को दर्शाती है। जब किसी राष्ट्र में कामचोरी को एक चालाकी भरा अधिकार और व्यक्तिगत स्वार्थ को बुद्धिमानी मानकर समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगे तो उस देश का आंतरिक पतन निश्चित हो जाता है। हम बाहरी तौर पर बुनियादी ढांचे के विकास, चमचमाती एक्सप्रेस-वे सड़कों, गगनचुंबी इमारतों और डिजिटल इंडिया की तकनीकी प्रगति की बात तो बड़े गर्व से करते हैं लेकिन जब तक इन सरकारी दफ्तरों और वातानुकूलित केबिन में बैठने वाले कार्यपालिका के कथित लोकसेवकों की मानसिकता में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, संवेदनशीलता और राष्ट्रीयता का प्राथमिक भाव नहीं जागेगा तब तक देश की तरकी और विश्व गुरु बनने का हर दावा खोखला, सतही और बेमानी साबित होगा। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जैरो टॉलरेंस’ की नीति को केवल राजनीतिक नारों तक सीमित न रखकर धरातल पर कड़ाई से लागू करना होगा। कामचोर, निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों पर त्वरित, अनुकरणीय और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी होगी तभी तंत्र में एक स्पष्ट संदेश जाए। इतिहास गवाह है कि आंतरिक रूप से खोखले हो चुके राष्ट्र भी महाशक्तियों की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते हैं। देश के अस्तित्व और स्वाभिमान को अक्षुण्ण रखने के लिए हर नागरिक और लोकसेवक को अपने अधिकारों की दुहाई देने से पहले अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों को सर्वोपरि मानना ही होगा, तभी एक सशक्त और समृद्ध भारत का स्वप्न साकार हो सकेगा।

हाइडेगर और आरेंट -जब प्रेम के साथ चलता रहा विचार और मतभेद

(राकेश सिन्हा)

हाइडेगर और आरेंट के सामने साथ रहने या बिछड़ने का विकल्प था। हाइडेगर ने जर्मनी नहीं छोड़ा और आरेंट अमेरिका चली गईं। हाइडेगर नाजी पार्टी से जुड़े, जिसको बाद में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मूर्खता माना। प्रेम के अनेक प्रसंग और रूप हैं, जिनका भरपूर उल्लेख साहित्य में मिलता है। उनकी नियति कहानियां बनकर रह जाने में है। मगर एक प्रेम कहानी विचारों की दुनिया से है, जो बौद्धिकता की बुनियाद पर टिकी है। इसके महत्त्व का ऐतिहासिक कारण है। इसने नाजीवाद को परास्त किया था। इसलिए यह मात्र प्रेम कहानी नहीं है। इसमें रचनात्मक बौद्धिकता और सामाजिकता के साथ-साथ मतांतर, मतभेद और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मानवीय संवेदनशीलता को जीवित रखने का संदेश है। विज्ञान, तकनीक तथा जानकारीयों की उपलब्धता के साधनों और भौतिक सुविधाओं के सहारे उन्नति के इस युग में साहित्य और समाजशास्त्र मानव मन को संतुलित रखने, सामाजिक बने रहने तथा वैज्ञानिक खोज को मन, विवेक एवं बुद्धि के नियंत्रण में रखने की क्षमता विकसित करने में पूरी तरह निष्फल सिद्ध हो रहा है। नाजीवादी प्रतिकूलताओं के बीच मार्टिन हाइडेगर (1889-1976) और हाना आरेंट (1906-1975) का प्रेम वैचारिक दरिदात एवं बौद्धिक कायरता दोनों से मुक्ति पाने का संदेश देता है। हाइडेगर की बौद्धिकता से प्रभावित होकर आरेंट उम्र में सत्रह वर्षों के अंतर के बावजूद उनसे प्रेम करने लगी। दोनों में एक-दूसरे की तबह बनने की ललक तो थी, मगर उन्होंने अपने स्व को भी आबाद रखा। ऐसे प्रेम के लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करने में कवियों को भी परिश्रम करना पड़ता है। मृत्यु की चेतना से समय की अहमियत तक हाइडेगर बीसवीं शताब्दी के प्रभावशाली समाजशास्त्रियों में से एक थे। ‘बीइंग एंड टाइम’ (1927) उनकी महत्त्वपूर्ण रचना है, जिस पर आरेंट की छाप है। उन्होंने अस्तित्व,



तकनीक, भाषा और आधुनिक सभ्यता को देखने का तरीका बदला। उनके अनुसार, मृत्यु जीवन का केवल अंतिम क्षण नहीं है। मृत्यु की चेतना बताती है कि मनुष्य का जीवन सीमित है। इसलिए समय अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। तकनीक पर उनका विचार तब विवादित जरूर था, पर आज निर्विवादित बन गया। यह मनुष्य और प्रकृति को संसाधनों से तथा ज्ञान को उपयोगिता और समय को उत्पादकता से जोड़ता है। हाना आरेंट की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ‘द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म’ (अधिनायकवाद की उत्पत्ति) है। दूसरी ‘बैनेलिट्टी ऑफ इविल’ है। इसमें उन्होंने बुराई के लिए आदेश का पालन करने वाले नौकरशाहों को भी जिम्मेदार माना है। एडोल्फ हिटलर का जर्मनी में उदय हुआ। नाजीवाद ने मानवता को झकझोर दिया। यह तानाशाहों का काल था। रूस में जोसेफ स्टालिन का, तो इटली में मुसोलिनी के फासीवाद के दौर का। जपानी और अंग्रेज शासकों में वरूरता की कमी नहीं थी। हाइडेगर और आरेंट के सामने

साथ रहने या बिछड़ने का विकल्प था। हाइडेगर ने जर्मनी नहीं छोड़ा और आरेंट अमेरिका चली गईं। हाइडेगर नाजी पार्टी से जुड़े, जिसको बाद में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी मूर्खता माना। आरेंट उन्हें ‘चिंतन का राजा’ मानती थीं। फिर भी 1946 में वह हाइडेगर को ‘संभावित हत्यारा’ कहने में नहीं हिचकीं। यह आरेंट का चिंतकों के लिए एक-दूसरे है कि स्वर्ग के बारे में सोचते-सोचते इनाम मग्न न हो जाएं कि सामने के कुएं में ही गिर जाएं। हाइडेगर सहित जर्मनी के ज्यादातर बुद्धिजीवियों का अपराध यह था कि वे वह नहीं कर पाए, जो थॉमस मान (1875-1955) या कार्ल वॉन ओस्सिएप्ट्स्की (1889-1938) ने किया। मान खुले रूप में नाजीवाद के खिलाफ थे, तो ओस्सिएप्ट्स्की पत्रकार के रूप में हिटलर के कुकृत्यों को सामने लाए। यह दिखाता है कि खौफ के बीच की रचनात्मकता ने दम नहीं तोड़ा। एचजी वेक्स ने पेरिस में पुस्तकों को बचाने के लिए पुस्तकालय खोला। जॉर्ज ऑरवेल ने

लोगों को मानसिक मजबूती देने का काम किया। नाजीवाद के अंत के बाद आरेंट और हाइडेगर का पुनर्मिलन हुआ। विचार ने इसकी मध्यस्थता की। विचार के प्रति ललक ने प्रेम और सामाजिकता दोनों को मरने नहीं दिया। जब वे 9 फरवरी 1950 को मिले, तो आरेंट का उद्गार था- ‘ऐसा लग्न जैसे अचानक समय ठहर गया है।’ उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि मारबर्ग छोड़ते समय अपने संबंधों को पूरी तरह समाप्त नहीं मानकर उन्होंने अक्षय्य विश्वासघात करने और अपने जीवन को बिगाड़ने से बचा लिया।

विचार अलग हों, संवाद क्यों खत्म हो – द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और उसके बाद बौद्धिकता के प्रवाह ने जब नए मानव जीवन की खोज शुरू की, तो पूंजीवाद और साम्यवाद के झगड़े ने उसे खंडित कर दिया। बौद्धिकों को वैचारिक कारखानों का उत्पाद मात्र बना दिया गया। स्वतंत्र मन और स्वायत्त विचार दुर्लभतम चीजें बन गईं। इसका परिणाम कटुतापूर्ण ध्ववीकरण के रूप में सामने आया। विचारों का अंतर संवाद, सामाजिकता और गुणग्राहकता का अंत नहीं होना चाहिए। हाइडेगर और आरेंट ने इसका उदाहरण बनकर दिखाया। आरेंट ने हाइडेगर को वैचारिक अपराध के कारण और हाइडेगर ने आरेंट को उस अपराध के विरोध में खड़ा होने के कारण एक-दूसरे के प्रति कटुता को अंकुरित नहीं होने दिया। वे विचारों का सुनना या संशोधन करते रहे। इन दोनों की बातचीत और प्रेम पत्रों में मानवता के प्रश्नों को सुलझाने के लिए विचारों की तलाश होती थी। जब वे मिले थे, तब आरेंट 19 वर्ष की तथा हाइडेगर 36 वर्ष के थे और पुर्मिलन सहह वर्षों के बाद हुआ, मगर चिंतन की दुनिया को इस उथल-पुथल से क्षति नहीं हुई। हाइडेगर इस बात की चिंता जताते थे कि आधुनिक सभ्यता को खतरा ‘चिंतन विहीनता’ से है। ऐसा नहीं है कि लोग सोच नहीं सकते, बल्कि वे सोचने से भागने लगे हैं।

संक्षिप्त समाचार

पीईआरएमसे सस्पेंडहोने के बाद टीसीएसका आया रिक्वशन

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका ने टीसीएस, कॉर्पिनजेंट, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल,



कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब समेत आठ आईटी कंपनियों को ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन’ प्रोग्राम से सस्पेंड कर दिया है। इस कार्यक्रम के तहत कंपनियां एच-1बी वीजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ‘ग्रीन कार्ड’ को आवेदन कर सकती हैं। इस कड़े अमेरिकी कदम से भारतीय आईटी सेक्टर के लिए वर्कफोर्स मैनेजमेंट और एम्प्लॉयी रिटेंशन का संकट गहरा गया है। साथ ही अमेरिकी बाजार में इन कंपनियों के संचालन और मुनाफे पर बड़ा दबाव बन गया है। इस बीच टीसीएस ने अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया जताई है। कंपनी का कहना है कि हमने अमेरिका सरकार के परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अनाउंसमेंट को देखा है। टीसीएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के किसी भी निर्देश का पालन करेगी। अमेरिका में हमारी वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी लोकल टैलेंट को हायर करने पर आधारित है, जिसे एक मजबूत कैपस रिक्लूमेंट मॉडल का सपोर्ट मिला है। टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी ने कहा कि हम अगले 5 साल में अमेरिका में और 15,000 लोगों को हायर करेंगे, ताकि हमारे लोकल वर्कफोर्स को और बढ़ाया जा सके। पिछले दो साल में हमारे एप्लीकेशन सिंगल डिजिट में थे और इसलिए हमें उम्मीद नहीं है कि प्रोग्राम के सस्पेंशन से अमेरिका सरकार पर हमारी वर्कफोर्स स्ट्रैटेजी और कस्टमर एंगेजमेंट पर कोई असर पड़ेगा। इस बीच टीसीएस के शेयरों में आज काफी तेजी आई है। बीएसई पर कंपनी का शेयर पिछले सत्र में 2,075.25 रुपये पर बंद हुआ था और आज 2,088.85 रुपये पर खुला।

8वां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 3.833 या 4.0 से कर्मचारियों की सैलरी में आएगा अंतर

नईदिल्ली, एजेंसी। 8वें वेतन आयोग की बंगलुरु में हुई बैठक खत्म हो गई है। अब अगली बैठक



22 अक्टूबर से मुंबई में शुरू होगी। आयोग अब तक चंडीगढ़, जयपुर, पुडुचेरी और दिल्ली में बैठक कर चुका है। इन बैठकों में मुख्य चर्चा फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन और पेंशन सुधार पर हो रही है। अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों और संगठनों ने अपने मेमोरेंडम में इन मुद्दों पर सुझाव दिए हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा सबसे पहले यह समझें कि फिटमेंट फैक्टर आखिर ऐसी क्या चीज है, जिसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है। बता दें फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक है, जिससे मौजूदा बेसिक पे और पेंशन को बढ़ाया जाता है। फिटमेंट फैक्टर सिर्फ मिनिमम सैलरी तय नहीं करता। इसका असर पेंशन, बेसिक पे और पूरी सैलरी स्ट्रक्चर पर पड़ता है। इसलिए कर्मचारियों, पेंशनरों और स्टेकहोल्डर्स के लिए यह बड़ा मुद्दा बना हुआ है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। जबकि, नेशनल काउंसिल और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 3.833 की मांग की है। लेवल-1 कर्मचारी की बेसिक पे पर अगर गणना करें, तो 3.833 और 4 के बीच करीब 3,006 रुपये प्रति माह का अंतर बताता है। सालाना आधार पर यह करीब 36,072 रुपये होता है। यह सिर्फ बेसिक पे का फर्क है।

देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय एनर्जी की मांग लगातार बढ़ रही है। बिजली यानी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। इस समय देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। होर्मुज संकट के इस समय में जिस तरह से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ रही हैं सप्लाई घटी है, उसमें कोयले से ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने पर जोर है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया है। तभी तो स्पांट मार्केट में बिजली की कीमत दूनी तक चली गई है।

एक्सचेंज में कीमत हो गई दूनी

इस साल सितंबर महीने के दौरान स्पांट मार्केट में बिजली के दाम दूने से भी ज्यादा बढ़े हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज या दृध्द्व में इस महीने बिजली की औसत कीमत 7.30 रुपये तक चली गई। यह पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 105 फीसदी ज्यादा है। मतलब कि जिन राज्यों या डिस्कॉम के पास बिजली खरीद का पर्याप्त पावर पर्वेज एग्रीमेंट नहीं है, उन्हें स्पांट मार्केट से बिजली खरीद कर सप्लाई करने में दूरी राशि खर्च करनी पड़ रही है। स्पांट मार्केट में बिजली बेचने वाली कंपनियां इस समय नेचुरल गैस के बदले कोयले से ज्यादा बिजली बना रही हैं। इस बीच, खबर आई है कि

